

कार्यालय-प्रधानाचार्य, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
पत्रांक/मे0का0दे0/जे0आर0/2021-22/

दिनांक 01.04.2022

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक-मे0का0दे0/2021-22/1732, दिनांक 16.12.2021 के विज्ञप्ति द्वारा महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया हेतु विभिन्न विभागों में रिक्त जूनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर/डिमान्सट्रेटर के सृजित पदों के सापेक्ष वेतनमान रु0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400 में वॉक इन इन्टरव्यू (Walk in Interview) के आधार पर 01 वर्ष के लिए दिनांक 22.12.2021 से 30.03.2022 तक प्रत्येक बुधवार (कार्य दिवस) को साक्षात्कार आयोजित किया गया था। उक्त साक्षात्कार में कमेटी की संस्तुति एवं प्रतिक्षारत सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थी को चयनित किया जाता है।

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	कटेगरी	मो0न0
01	श्री पवन जोशी	श्री ललित मोहन जोशी	सामान्य	8700879384
02	डा0 नीतू चौधरी	श्री मोतीलाल चौधरी	अनुसूचित जाति	6388330851
03	डा0 तृप्ति श्रीवास्तव	श्री लाल बहादुर श्रीवास्तव	सामान्य	7268854221
04	श्री प्रतीक गौतम	श्री हरीश चन्द्र गौतम	सामान्य	9808341790
05	श्री पीयूष कुमार मिश्रा मिश्रा	श्री दुर्गेश कुमार मिश्रा	सामान्य	8470874536

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आप अविलम्ब, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित हो कर निम्न शर्तों के अधीन कार्यभार ग्रहण करना सुचिश्चित करें।

01. यह आवश्यक होगा कि नियुक्ति आदेश के 05 कार्य दिवस के भीतर संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण कर ले। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
02. जूनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर/डिमान्सट्रेटर मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न तो कही प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा।
03. जूनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर/डिमान्सट्रेटर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
04. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजक न पाये जाने पर आपकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
05. यह नियुक्ति सम्बंधित विभागाध्यक्ष द्वारा त्रैमासिक समीक्षा एवं मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
06. किसी भी जूनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर/डिमान्सट्रेटर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 माह पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से त्याग-पत्र दिये जाने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित जूनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर/डिमान्सट्रेटर के एक माह का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
07. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
08. कार्यस्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है। परन्तु बिना प्रतिस्थानी की उपलब्धता के कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
09. किसी भी प्रकार का हडताल या आन्दोलन करने पर नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

प्रधानाचार्य

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

(Signature)